न्यायालय अपर समाहर्त्ता, पटना

रैयती अपील वाद संख्या–31/2017–18

पंकज कुमार सिंह बनाम राज्य

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3
6/6/18	**आदेश** यह अपील भूमि सुधार उप समाहर्ता, पटना सिटी के द्वारा बकास्त रैयती भूमि विविध वाद सं0 19/2015–16 में दिनांक 30.04.2016 को पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया गया है। आवेदक का कहना है कि फतुहॉ अंचल अंतर्गत मौजा सदैनपुर खाता नं0–229, खेसरा नं0–1070 रकवा–5डी0 उनके पूर्वज की खरीदगी भूमि है। आवेदक के नाम से जमाबंदी कायम है। लगान रसीद निर्गत किया जा रहा है तथा भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र भी निर्गत है। भूमि सुधार उप समाहर्ता, भूमि सुधार उप समाहर्ता, पटना सिटी के द्वारा विविध वाद सं0 19/2015–16 में बिना उनका पक्ष सुने आदेश पारित कर दिया गया है। आवेदक के द्वारा आवेदन के साथ सर्वे खतियान की प्रति, केवाला, लगान रसीद एवं भू–स्वामित्व प्रमाण–पत्र की छाया–प्रति दाखिल की गयी। आवेदन, दाखिल कागजात एवं भूमि सुधार उप समाहर्ता, पटना सिटी के आदेश का अवलोकन किया। भूमि सुधार उप समाहर्ता, पटना सिटी के आदेश में प्रश्नगत भूखण्ड पर आवेदक की जमाबंदी कायम नहीं रहने की बात कही गयी है, जबकि आवेदक की जमाबंदी सं0–63 पर वर्ष 2017–18 की लगान रसीद निर्गत है। मौजा सैदनपुर के अन्य कई मामलों में पूर्व में अनेक वादों को भूमि सुधार उप समाहर्ता, पटना सिटी को प्रतिप्रेषित (Remand) करते हुए पुनः सुनवाई कर आदेश पारित करने हेतु वापस किया गया है। प्रश्नगत मामले को भी भूमि सुधार उप समाहर्ता, पटना सिटी को प्रतिप्रेषित (Remand) करते हुए निदेश दिया जाता है कि आवेदक का पक्ष सुनकर आवश्यक जांचोपरान्त समुचित आदेश पारित करें। वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। **लेखापित एवं संशोधित।** 6/6/18 (वजैन उद्दीन अंसारी) अपर समाहर्त्ता, पटना 6/6/18 (वजैन उद्दीन अंसारी) अपर समाहर्त्ता, पटना	